

उत्तर पश्चिम रेलवे



प्रधान कार्यालय

जयपुर

आर.बी.ई.सं.

116/2014

दिनांक

3/11/14

सं. 465-E/O/Leave

मण्डल रेल प्रबंधक/कार्मिक- जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
 मुख्य कारखाना प्रबंधक- अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
 उप मुख्य सामग्री प्रबंधक- अजमेर, जोधपुर
 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण- जयपुर
 समस्त विभागाध्यक्ष/प्रका.-जयपुर
 सचिव/महाप्रबंधक, वरिष्ठ महाप्रबंधक /संतर्कता प्रका.- जयपुर
 मुख्य राजभाषा अधिकारी/प्रका.- जयपुर
 अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड- अजमेर
 प्राचार्य क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान- उदयपुर
 प्राचार्य कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र- जोधपुर
 उप निदेशक, लेखा परीक्षा प्रका.- जयपुर
 सहायक सचिव/गोपनीय - महाप्रबंधक प्रका.- जयपुर
 मुख्य खजांची रोकड एवं वेतन विभाग प्रका.- जयपुर
 निजी सचिव/महाप्रबंधक, वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी प्रका.- जयपुर.

RB 116/2014

विषय - भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-1, 1985 संस्करण
 (वृत्तीय पुनर्मुद्रण संस्करण 2008) अध्याय V छुट्टी नियंत्रण संशोधन।
 Amendement to the India Railway Establishment Code.
 Volume I 1985 Edition (Revised Edition 2008)

संदर्भ - Chapter V Leave Rules.

Railway BO.LAB E(CPA)1-2014/CPC/POI 3-2 [dt. 21/10/14]
 ACP-123.

रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दि. 21/10/14 की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही, मार्ग दर्शन एवं सूचनाएँ प्रेषित की जा रही है।

सलगन- यथोक्त।

(सलीपयान)
 कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

- | | | |
|----------------------------------|----|-----------|
| 1. महासचिव- एनडब्ल्यूआरईयू | 15 | प्रतियों। |
| 2. महासचिव- यूपीआरएमएस | 15 | प्रतियों। |
| 3. महासचिव- एससी/एसटी एसो. | 15 | प्रतियों। |
| 4. महासचिव- ओबीसी एसो. | 05 | प्रतियों। |
| 5. महासचिव- पदोन्नत अधिकारी एसो. | 15 | प्रतियों। |

3/11/14



भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

GM
29/10/14
D. P. O.
D. P. O.
COSTED
आरबीई सं. 116 /2014

सं. ई(पी एंड ए)I-2014/सीपीसी/एलई-2

नई दिल्ली, दिनांक 21 .10.2014

महाप्रबंधक/विसमूलेधि,
सभी भारतीय रेल एवं उत्पादन इकाइयां आदि.

31/10/14
39/10

विषय: भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-I, 1985 संस्करण (तृतीय पुनर्मुद्रण संस्करण 2008) अध्याय V- छुट्टी नियम में संशोधन.

राष्ट्रपति एतद्वारा निदेश देते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-I, 1985 संस्करण (तृतीय पुनर्मुद्रण संस्करण 2008) के नियम 540 में संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 123 के अनुसार संशोधन किया जाए.

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.
3. कृपया पावती दें.

संलग्न: यथोक्त

के शंकर

निदेशक स्था.(पी एंड ए)
रेलवे बोर्ड


सं. ई(पी एंड ए)I-2014/सीपीसी/एलई-2

नई दिल्ली, दिनांक 21 .10.2014

प्रतिलिपि भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं.224, रेल भवन, नईदिल्ली को (40 अतिरिक्त प्रतियां सहित) प्रेषित.

संलग्न: शुद्धि पर्ची

कृते वित्त आयुक्त/रेलें



26/110

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

RBE No. 116/2014

No. E(P&A)I-2014/CPC/LE-2

New Delhi, dated 21.10.2014


The General Managers/FA&CAOs, NWR, Jaipur
All Indian Railways and Production Units etc.

Sub: Amendment to the Indian Railway Establishment Code, Volume I, 1985 Edition (Third Reprint Edition 2008) Chapter V - Leave Rules.

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to direct that Rule 540 of the Indian Railway Establishment Code, Volume-I, 1985 edition (Third Reprint Edition-2008) may be amended as in the enclosed Advance Correction Slip No. 123

- 13
2. This issue with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
 3. Please acknowledge receipt.

DA: Correction Slip.



(K Shankar)
Director Estt. (P&A),
Railway Board

No. E(P&A)I-2014/CPC/LE-2

New Delhi, dated 21.10.2014

Copy to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi (with 40 spares).

DA: Correction slip.


for Financial Commissioner/Railways

No. E(P&A)I-2014/CPC/LE-2

New Delhi, dated 21.10.2014

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, AIRF, R.No.253, Rail Bhawan, New Delhi.(with 35 spares).
2. The General Secretary, NFIR, R.No.256, Rail Bhawan, New Delhi.(with 35 spares).

28 OCT 2014

भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द- I, 1985 संस्करण (तृतीय पुनर्मुद्रण संस्करण 2008) के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 123

भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द- I, 1985 संस्करण(तृतीय पुनर्मुद्रण संस्करण 2008) के नियम 540 में निम्न संशोधन किया जाए:-

नियम-540: सेवानिवृत्ति की छुट्टी:

इस नियम के प्रावधानों में अंक एवं शब्द "180 दिन" को अंक एवं शब्द "300 दिन" से प्रतिस्थापित किया जाए.

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का पत्र सं. ई(पी एंड ए)I-2014/सीपीसी/एलई-2 दिनांक 21.10.2014)

CPO
887

ADVANCE CORRECTION SLIP TO THE INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT CODE,
VOLUME-I, 1985 EDITION (THIRD REPRINT EDITION - 2008)

Advance Correction Slip No. 123

The following amendment may be made to Rule 540 of the Indian Railway Establishment Code, Volume-I, 1985 Edition (Third Reprint Edition - 2008):-

Rule-540: Leave preparatory to retirement:

In the provisions of this Rule, the figure and word "180 days" may be substituted with the figure and word "300 days".

(Authority: Railway Board's letter No. E(P&A)I-2014/CPC/LE-2 dated 21.10.2014.)